

राज भाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) में उल्लेखित मदें।

राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत निम्नलिखित दस्तावेजों को अनिवार्य रूप से द्विभाषी जारी करना आवश्यक है। इसे द्विभाषी जारी करने का उत्तरदायित्व इन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी की होती है।

1. सामान्य आदेश
- 2. अधिसूचनाएं
- 3. प्रेस विज्ञप्ति
- 4. संविदा
- 5. करार
- 6. लाइसेंस
- 7. परमिट
- 8. टेंडर फार्म
- 9. नोटिस
- 10. संकल्प
- 11. नियम
- परिपत्र
- 13. संसद के एक सदन या दोनों सदनों में प्रस्तुत प्रशासनिक और अन्य रिपोर्ट
- 14. प्रशासनिक या अन्य रिपोर्ट